दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

<u>नि.प्र.अ. संख्या 193/2000</u>

सुरक्षित तिथि: 08.10.2009
घोषित करने की तिथि: 29.10.2009

<u>निम्न मामले में:</u>

सुश्री वंदना ज्ञानधर .....अपीलार्थी

द्वारा: अधिवक्ता, श्री सी.एम. खन्ना

बनाम

श्री पवन कुमार और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अमिताभ नारायण के साथ
अधिवक्ता, श्री अवदेश सिंह।

कोरमः

<u>माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली</u>

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ।

2. संवाददाता को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ।

3. क्या निर्णय की सूचना डाइजेस्ट में दी जानी चाहिए? हाँ।

<u>न्या.हिमा कोहली,</u>

1. वर्तमान अपील में घोषणा और अनिवार्य व्यादेश हेतु प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अपीलार्थी (नीचे दिए गए न्यायालय में वादी) द्वारा स्थापित एक वाद में दिनांक 30.11.1999 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी के उपरोक्त वाद को विचारण न्यायालय ने इस आधार पर खारिज किया था कि इसे तात्विक तथ्यों को छिपाकर दायर किया गया था। दोनों पक्षों की ओर से उठाई गई दलीलों को विज्ञापित करने से पहले मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताना उचित रहेगा।

2. अपीलार्थी ने 09.02.1992 को नई दिल्ली में प्रत्यर्थी स. 1 से विवाह किया और दोनों पक्ष 12.8.1992 तक दिल्ली में रहे, उसके बाद वे उच्च अध्ययन करने के लिए अमेरिका चले गए। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 29.6.1995 को, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन राज्य के सर्किट कोर्ट द्वारा अपीलार्थी और प्रत्यर्थी स. 1 के विवाह के विघटन की डिक्री दी गई थी। अपीलार्थी ने वादपत्र में उक्त आशय का प्रकथन किया और कहा कि वह कार्यवाही में शामिल नहीं हुई और प्रत्यर्थी स. 1 द्वारा एक पक्षीय डिक्री अभिप्राप्त की गई।

3. अपीलार्थी के दावे के अनुसार, जैसा कि वादपत्र में बताया गया है, जून, 1995 में प्रत्यर्थी स. 1 द्वारा अभिप्राप्त विवाह के विघटन की डिक्री से पहले, अपीलार्थी की "स्त्रीधन संपत्ति" के व्यवस्थापन के मुद्दे पर उसके और प्रत्यर्थी स. 1 के मध्य और प्रत्यर्थी स. 1 के माता-पिता और अपीलार्थी के पिता के मध्य

भी चर्चा की गई थी। हालांकि, पक्षों के बीच कोई समझौता नही हो सका। 26.6.1997 को अपीलार्थी ने प्रत्यर्थियों को विधिक सूचना भेजकर अपनी स्त्रीधन संपत्ति वापस करने की मांग की, जिसका प्रत्यर्थियों ने खंडन कर दिया। परिणामस्वरूप, 02.02.1999 को, अपीलार्थी ने अपने पूर्व पति, प्रत्यर्थी स. 1 और उसके माता-पिता, प्रत्यर्थी स. 2 और 3 के विरुद्ध विचारण न्यायालय में घोषणा और अनिवार्य व्यादेश हेतु वाद संस्थापित किया।

4. वाद में प्रत्यर्थियों को दिनांक 02.02.1999 को समन जारी किया गया, जो 23.04.1999 को वापस किया जा सकता था। 23.04.1999 को, प्रत्यर्थियों की ओर से एक बयान दिया गया था कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी स. 1 ने अमेरिका में अपने विवाह का विघटन कर दिया था। प्रत्यर्थियों की ओर से दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद,विद्वान अति.जि.न्या. ने मामले को 13.09.1999 तक के लिए स्थगित कर दिया ताकि यह देखा जा सके कि क्या अपीलार्थी, जो यूएसए में भी रह रही थी, ने यूएसए में न्यायालय में तलाक मांगते समय स्त्रीधन, दहेज की वस्तुओं और रखरखाव आदि के मुद्दे का व्यवस्थापन कर लिया था और अपीलार्थी को आदेश 10 सि.प्र.स. के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। दिनांक 13.09.1999 को विचारण न्यायालय ने निम्नानुसार उल्लेख किया:

"याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु आज मामला निश्चित किया गया है। अंतिम सुनवाई 23 अप्रैल, 99 को तय की गई थी, याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए लगभग 5 महीने का समय दिया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता उस समय यू.एस.ए. में रह रही थी। यह भी स्वीकार किया गया है कि पक्षकार यानी याचिकाकर्ता और उसका पूर्व पति विवाह के बाद यू.एस.ए. चले गए थे और उन्होंने यू.एस.ए. में अपने विवाह का विघटन कर दिया था। यह याचिका सुश्री वंदना ज्ञानधर के पिता द्वारा दायर की गई है जिसमें इस्त्रिधन आदि का दावा किया गया है। महिलाओं के अधिकारों पर यू.एस.ए. के कानून भारत की तुलना में अधिक कठोर हैं और याचिकाकर्ता ने यू.एस.ए. में अपनी संपत्ति आदि के लिए दावा किया होगा। यू.एस.ए. में तलाक के निर्णय की एक प्रति याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय में दायर की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के पिता ने पहले अमेरिका में कोई इलाज कराया था। अब वह जांच के लिए अमेरिका गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता इस मामले में पेश होने के लिए भारत नहीं आ पा रही है क्योंकि उसके पिता जांच के लिए अमेरिका गए हैं। याचिकाकर्ता को आदेश 10 सि.प्र.स. के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता को इस याचिका के अभियोजन में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि यह याचिका उसके द्वारा केवल प्रत्यर्थी को परेशान करने के लिए दायर की गई है।

18-11-99 को व्यक्तिगत उपस्थिति और निर्णय की प्रति दायर करने के लिए उपस्थित हों।"

5. 18.11.1999 को, मामले को 30.11.1999 के लिए पुनःअधिसूचित किया गया था। 30.11.1999 को, हालांकि अपीलार्थी उपस्थित नहीं थी, मैरीलैंड राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका में उसके द्वारा गृहीत शपथ-पत्र दायर किया गया था। उसी तिथि को, आक्षेपित निर्णय इस आधार पर अपीलार्थी के वाद को खारिज करते हुए पारित किया गया कि उसने इसे तात्विक तथ्यों को छिपाकर दायर किया था।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय इस कारण से गलत है कि अपीलार्थी के वाद को 'तात्विक तथ्यों को छिपाने' के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। यह प्रस्तुत किया गया था कि आदेश 10 सि.प्र.स. के तहत अपने परीक्षण हेतु विद्वान अ.जि.न्या. के समक्ष अपीलार्थी का उपस्थित न होना, उसके वाद को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता, विशेषकर तब, जब उसके पिता ने उसकी ओर से उसके मुख्तारनामे की क्षमता रखकर वाद दायर किया था, और वह आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने और वाद से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपलब्ध था। यह आगे कहा गया कि आदेश 10 नियम 4 सि.प्र.स. के प्रावधानों को लागू करके वाद खारिज करना, वर्तमान मामले के तथ्यों में अनुचित था क्योंकि अपीलार्थी के मुख्तारनामे, अर्थात् उसके पिता, या अपीलार्थी के अधिवक्ता हेतु वाद से संबंधित विचारण न्यायलय द्वारा

पूछे गए किसी भी तात्विक प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होने का कोई कारण नहीं था।

7. अपीलार्थी की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि उपस्थिति दर्ज करने के बाद, प्रत्यर्थियों को अपना लिखित बयान दायर करने के लिए नहीं बुलाया गया था, मुद्दों को तय करने का चरण अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ था और जब तक उक्त चरण उत्पन्न नहीं हुआ था, तब तक न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की शारीरिक अनुपस्थिति इतनी घातक नहीं हो सकती थी कि उसके वाद को खारिज कर दिया जाए। आगे यह आग्रह किया गया कि विधि और तथ्यों पर मुद्दों को तैयार किए बिना, अपीलार्थी के स्त्रीधन की वापसी के दावे के संबंध में मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य के सर्किट कोर्ट की डिक्री को केवल पढ़कर निर्णय नहीं लिया जा सकता और न्यायालय को वाद की स्थिरता पर एक निष्कर्ष वापस करने से पहले अभिवचनों को पूरा करने, दस्तावेजों को दाखिल करने और मुद्दों को तैयार करने का निर्देश देना चाहिए था।

8. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा आग्रह की गई दलीलों का मुख्य मुद्दा यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित 29.06.1995 को तलाक की डिक्री एक समग्र डिक्री थी जिसमें दोनों पक्षों की संपत्तियों के वितरण का भी प्रावधान था और जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी थी। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी ने उपरोक्त तलाक की डिक्री को स्वीकार कर

लिया है और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनर्विवाह करके कार्रवाई की है, इसलिए उसे वाद दायर करके उसके एक भाग को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय के प्रवृत पैरा के अलावा, जिसके तहत तात्विक तथ्यों को छिपाने के लिए अपीलार्थी के वाद को खारिज कर दिया गया था, अमेरिकी न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया था और विद्वान अ.जि.न्या. ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पक्ष तलाक और संपत्ति के व्यवस्थापन के संबंध में अमेरिकी न्यायालय के निर्णय से बाध्य थे और इस प्रकार आरंभ में ही अपीलार्थी के वाद को खारिज कर दिया गया। उन्होंने यह आग्रह करते हुए आक्षेपित निर्णय का समर्थन करने का आग्रह किया कि हालांकि इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, विचारण न्यायालय ने वास्तव में आदेश 7 नियम 11 (घ) सि.प्र.स. के प्रावधानों को लागू किया था, जो न्यायालय को उस वादपत्र को अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान करता है जहां वादपत्र में दिए गए बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित है।

9. प्रत्युत्तर में, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दोहराया कि हालांकि अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित तलाक की डिक्री को चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन अपीलार्थी द्वारा अपने स्त्रीधन की वापसी के लिए वाद में मांगी गई राहत को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों द्वारा शासित नहीं किया जा सकता,

जिनके पास उक्त संपत्ति पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, और किसी भी मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 29.6.1995 के डिक्री में उल्लिखित संपत्तियों का भाग था या नहीं, यह एक तर्कपूर्ण बिंदु था जिस पर मुद्दों को तैयार किया जाना चाहिए था और पक्षों को साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

10. वर्तमान अपील में न्यायालय के समक्ष एक संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा तात्विक तथ्यों को छुपाने के आधार पर अपीलार्थी के वाद को खारिज करना उचित था या नहीं?

11. सि.प्र.स. की धारा 9 के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि सिविल न्यायालय के पास सिविल प्रकृति के सभी वादों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार होगा, सिवाय ऐसे वादों के जिनका संज्ञान स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है। इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति में एक सिविल प्रकृति का वाद दायर करने का एक अंतर्निहित अधिकार है और इस प्रकार के वाद को बनाए रखने हेतु, उसे विधि के किसी भी प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वाद के लिए कोई वैधानिक वर्जन न हो। इस संबंध में <u>श्रीमती गंगा बाई बनाम विजय कुमार और अन्य</u> नामक मामले का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसे **(1974) 3 एससीआर 882** के रूप में अभिलिखित किया गया है, जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः

> "प्रत्येक व्यक्ति में सिविल प्रकृति का वाद लाने का एक अंतर्निहित अधिकार है और जब तक कि वाद अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं है, कोई भी व्यक्ति, एक बार जोखिम में, अपनी पसंद का वाद ला सकता है। यह किसी वाद का कोई जवाब नहीं है, चाहे दावा कितना भी तुच्छ क्यों न हो, कि विधि वाद चलाने का ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। इसकी संधार्यता के लिए एक वाद को विधि के किसी प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती और यह पर्याप्त है कि कोई भी क़ानून वाद का वर्जन नहीं करता है।"

12. इसी प्रकार, धन्नालाल बनाम कलावतीबाई और अन्य के मामले में, जिसे **(2002) पूरक 1 एससीआर 19** के रूप में अभिलिखित किया गया था, श्रीमती गंगा बाई (उपरोक्त) के मामले में की गई उपरोक्त टिप्पणी को विज्ञापित करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"वादी *डोमिनस लिटिस* होता है, अर्थात मामले का स्वामी, या उस पर प्रभुत्व रखता है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी क्रिया का प्रबंध और नियंत्रण है। क्षेत्राधिकार के टकराव के मामले में, वादी के पास सबसे उपयुक्त मंच चुनने का विकल्प होना चाहिए, जब तक कि वादी की पसंद के मंच तक पहुंच को छोड़कर विधि का शासन न हो, या किसी मंच का सहारा लेने की अनुमति देना सार्वजनिक नीति का विरोध होगा या विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

13. अब्दुल गफूर और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के मामले में, जिसे **(2008) 10 एससीसी 97** के रूप में अभिलिखित किया गया था, उपरोक्त दो निर्णयों पर ध्यान देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "16. यह सामान्य बात है कि अभिवचनों का नियम यह मानता है कि एक वाद में तात्विक तथ्य होने चाहिए। जब समग्र रूप से पढ़ा गया वाद वाद हेतुक को जन्म देने वाले तात्विक तथ्यों का खुलासा नहीं करता, जिस पर सिविल न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है, तो इसे संहिता के आदेश 7, नियम 11 के संदर्भ में खारिज किया जा सकता है। इसी प्रकार, वाद में उठाई गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वर्जित करने की याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, वाद हेतुक और उसमें मांगी गई राहतों का खुलासा करने वाली बातों पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए और न्यायालय को किसी न किसी प्रकार से सवाल का निर्धारण करने में न्यायोचित नहीं ठहराया जाएगा, केवल उन राहतों के संबंध में जो वाद पत्र में किए गए तथ्यात्मक प्रकथनों को दर्शाते हैं ।"

14. मौजूदा मामले की बात करें तो, वाद में समन जारी होने के बाद, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थिति दर्ज की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित विवाह के विखंडन की डिक्री की प्रमाणित प्रति और अपीलार्थी द्वारा दायर कुछ दस्तावेजों के अलावा, किसी भी दलील और प्रासंगिक दस्तावेजों की पूर्ण अनुपस्थिति में, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी स. 1, जो दोनों

संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे, के सही पते प्रस्तुत न करने के आधार पर वाद को खारिज करना काफ़ी कठोर है और यह सिविल प्रक्रिया संहिता में परिकल्पित परिणाम नहीं है। कड़ाई से बोलते हुए, विचारण न्यायालय ने निर्णय सुनाते समय आदेश X, नियम 2 सि.प्र.स. के प्रावधानों को लागू नहीं किया। इसके बजाय, इसने तात्विक तथ्यों को छिपाने के आधार पर वाद को खारिज कर दिया।

15. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया गया यह तर्क कि वाद वास्तव में आदेश 7 नियम 11 (घ) सि.प्र.स. के प्रावधानों को लागू करके खारिज कर दिया गया था, गलत है। यदि ऐसा मामला था, तो विचारण न्यायालय को वाद-पत्र को अस्वीकृत कर देना चाहिए था और वाद को खारिज नहीं करना चाहिए था। 'वाद की अस्वीकृति' और 'वाद को खारिज किए जाने' के बीच स्पष्ट विभेद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

16. आक्षेपित निर्णय पारित करते समय, विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि वाद को खारिज करने का प्रभाव वादपत्र की अस्वीकृति के प्रभाव से पूरी तरह से भिन्न और सुस्पष्ट है। इंस्पिरेशन क्लॉथ्स एंड यू बनाम कोल्बी इंटरनेशनल लिमिटेड के मामले में **88 (2000) डीएलटी 769** के रूप में अभिलिखित, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश की जांच करते हुए, आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.स. के तहत प्रत्यर्थी द्वारा

चुने गए आवेदन पर अपीलार्थी के वाद को खारिज कर दिया, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि वाद सुनवाई योग्य नहीं था क्योंकि अपीलार्थी के पास वाद हेतुक नहीं था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

> "पैरा 10:... विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा प्रदान किए गए तथ्य पर भरोसा करने में गलती की, जो अकेले ही आक्षेपित आदेश को अपास्त करने के लिए पर्याप्त है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने वाद को अस्वीकार करके वाद-पत्र आगे बढ़ाने के बजाय, वाद को खारिज कर दिया, जो दृष्टिकोण भी गलत है। **वाद को ख़ारिज करने का प्रभाव वाद-पत्र को अस्वीकृत करने के प्रभाव से बिल्कुल भिन्न और सुस्पष्ट है। यदि आदेश 7 नियम 11, सि.प्र.स. के तहत वाद-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उसी वाद-हेतुक के संबंध में एक नया वाद-पत्र दायर करने की, विशेष रूप से, आदेश 7, सि.प्र.स. के नियम 13 के तहत अनुमति है। कुल मिलाकर वाद खारिज होने की स्थिति में अलग-अलग परिणाम सामने आते हैं, जिसका प्रभाव वादी को वाद-हेतुक पर नया वाद दायर करने से रोकना होता है। वादपत्र की अस्वीकृति से वाद का आधार ही खत्म हो जाता है मानो कोई वाद था ही नहीं या कोई वाद ही संस्थापित नहीं किया गया था। किसी वाद के अस्तित्व को मान्यता देते हुए वाद को ख़ारिज करने का आदेश उसकी समाप्ति का संकेत देता है।** आदेश 7 नियम 11, सि.प्र.स. के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय, एकल न्यायाधीश को वाद को खारिज नहीं करना चाहिए था और न ही किया जा सकता था। यहां तक कि टी अरविंदम के मामले (उपरोक्त) (एआईआर 1977 एससी 2421) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस पर

भरोसा किया था, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि वाद के अर्थपूर्ण-अनौपचारिक पठन पर यह स्पष्ट रूप से अफसोसजनक और योग्यताहीन है, तो मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा न करने के अर्थ में, विचारण न्यायालय को आदेश 7 नियम 11, सि.प्र.स. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो गया है। उस आधार को पूरा करने के लिए वाद-पत्र में लगाए गए अभिकथनों और उसके साथ दायर दस्तावेजों पर गौर करना अपेक्षित था, जो इस मामले में स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के विरुद्ध कम से कम वाद-हेतुक के कारण का खुलासा करते हैं कि प्रतिवादी अपनी लोप और करण त्रुटि के नुकसान के लिए उत्तरदायी था। यह एक पूरी तरह से अलग स्थिति होगी कि वादी अंततः प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता या वह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि वाद प्रतिवादी के विरुद्ध सुनवाई योग्य नहीं होगा और वादी के पास केवल प्रतिवादी के स्वामी और हांगकांग में उसकी मूल इकाई के विरुद्ध वाद-हेतुक था, लेकिन इस स्तर पर इस पहलू पर विचार नहीं किया जा सकता था। हमारे विचार में ऊपर उद्धृत वाद के तीन पैराग्राफ स्पष्ट रूप से वादी के लिए नुकसान का दावा करने के लिए वाद हेतुक का खुलासा करते हैं।"

(जोर दिया गया)

17. यदि विचारण न्यायालय आश्वस्त था कि वाद-पत्र पूरी तरह से पढ़ा गया है,वाद-हेतुक का खुलासा नहीं किया गया और/या किसी भी विधि द्वारा वर्जित किया गया है, और इसलिए इसे अफसोसजनक या योग्यताहीन के रूप में खारिज किया जा सकता है, तो न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.स. की अपनी

शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था। तथ्य यह है कि एक बार किसी मुक़दमेबाज़ द्वारा दायर किए गए वाद का निपटान संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए, न कि त्वरित या संक्षिप्त तरीके से। प्रत्यर्थियों की यह दलील कि अपीलार्थी का वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित है, पर वादपत्र में दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने एक स्पष्ट रुख अपनाया है कि अमेरिकी न्यायालय के दिनांक 29.6.1995 के विवाह के विखंडन की डिक्री के बावजूद उसके स्त्रीधन की वापसी के संबंध में मुद्दा जीवित है, इसलिए इस मामले को विचारण के लिए रखा जाना अपेक्षित है। विचारण न्यायालय प्रवेश के स्तर पर ही उक्त प्रश्न का निर्धारण करने और पक्षकारों को दलीलें पूरी करने, अपने रुख के समर्थन में दस्तावेज दायर करने और कोई मुद्दा तय किए बिना वाद खारिज करने में न्यायोचित नहीं था।

18. यदि वाद की विचारणीयता के संबंध में एक मुद्दे सहित मुद्दों को तय करने के बाद, न्यायालय की राय थी कि कुछ मुद्दों पर किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी, तो उक्त मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में माना जा सकता था और निर्णय लिया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि विधि और तथ्यों दोनों पर मुद्दे तय किए जाने के बाद वाद खारिज नहीं किया जा सकता था और कुछ मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में माना गया था। उस स्तर पर,

न्यायालय को प्रतिवादियों के बचाव को भी ध्यान से देखने का लाभ मिलता, और वाद की स्थिरता के संबंध में उनकी आपत्तियों को अच्छी तरह से बरकरार रखा जा सकता था।

19. उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि अपीलार्थी द्वारा चुने गए वाद को उसी सीमा पर, 'तात्विक तथ्यों को छिपाने' के आधार पर, पक्षों को दलीलें पूरी करने, दस्तावेज दाखिल करने और किसी भी मुद्दे को तय किए बिना खारिज करने से अपीलार्थी के साथ गंभीर अन्याय हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में उचित मार्ग यह होता कि मुद्दों को तैयार किया जाता और कुछ मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में माना जाता है, जिन पर बिना साक्ष्य के भी निर्णय लिया जा सकता था, बजाय इसके कि वाद को बिना किसी विचारण के खारिज कर दिया जाए। यदि विचारण न्यायालय द्वारा तैयार किए गए ऐसे प्रारंभिक मुद्दों पर अंततः प्रतिवादियों के पक्ष में निर्णय दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप वाद खारिज हो जाएगा, जिसके आदेश 7 नियम 13 सि.प्र.स. के प्रावधानों के तहत पूरी तरह से अलग परिणाम हैं, और यह अपीलार्थी को वाद-हेतुक पर एक नया वाद दायर करने से रोक देगा।

20. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है और दिनांक 30.11.1999 के आपेक्षित निर्णय को अपास्त कर दिया जाता है। अपीलार्थी के वाद को नए न्यायनिर्णयन और विधि के अनुसार निपटान के लिए

विचारण न्यायालय की फाइल में बहाल किया जाता है। पक्षों के बीच दलीलें पूरी होने और मुद्दे तय होने के बाद, विचारण न्यायालय कुछ मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में मानने और विधि के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

21. विचारण न्यायालय का रिकॉर्ड तुरंत जारी किया जाए। पक्षकारों को 16 नवंबर, 2009 को आगे की कार्यवाही के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है, जब मामले को आगे की कार्यवाही के लिए उपयुक्त न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाद वर्ष 1999 का है, विचारण न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह यथासंभव इसे शीघ्रता से करे।

22. पक्षों को अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

(हिमा कोहली)

न्यायाधीश

29 अक्टूबर, 2009
एसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*